सुरकषा हसथ पुसतक

बुनयिादी सुरकषा नयिम

आपात स्थिति

सभी कार्यों-ट्रैफिक दुर्घटना - सभी आपात स्थितियों की सूचना तत्काल दें;

• आपात स्थितियों के दौरान;
- काम रोक दें
- आपातकालीन योजनाओं या निर्देशों का पालन करें।
- एकत्र होने की जगह पर पहुंचे और सब कुछ ठीक होने तक वहीं रहें।

• इनके विषय में बताएँ:
- घटना-दुर्घटना।
- घटना-दुर्घटना का स्थान।
- घटना-दुर्घटना का समय।
- चोट, यदि लगी है।
- यदि चोट लगी है तो कितने लोगों को लगी है ।
- आपका नाम कुलनाम - पद

• अपना मोबाइल नंबर या संपर्क का स्थान बताएँ।

पीपीई (व्यक्तिगत रक्षा उपकरण)
एचएसएंडई (स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण)

सुरक्षा पुस्तिका (सेफ्टी हैंडबुक)

युकसेल (YÜKSEL) के निर्माण स्थल पर न्यूनतम सुरक्षा नियम

इस हैंडबुक में न्यूनतम सुरक्षा नियम मौजूद हैं जो अनुबंध-उप-अनुबंध पर नियुक्त--कर्मचारियों या परियोजना स्थल पर कामकाजी गतिविधियाँ करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। इस प्रकार की हैंडबुक में न्यूनतम सुरक्षा नियमों को समझाया जा सकता है।

विषय-सूची

सामान्य नियम....4

अनुशासनिक कार्रवाई....6

रिपोर्ट....6

अग्निसुरक्षा....7

संकेत - सामग्री का उपयोग - औजार....8

खुदाई....9

सीढ़ियां – जीना और मचान....12

गिरने से बचाव....16

क्रेन चलाना....18

वैल्डिंग और कटिंग....22

इलेक्ट्रिकल - लॉकआउट और टैगआउट....28

मशीनरी उपकरण - सुरक्षा (गार्डिंग)....32

सफाई व्यवस्था....35

इस्पात निर्माण का काम....36

सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग....37

एनडीटी वर्क....38

सामग्री का साधारण तरीके से उपयोग....39

सामान्य नियम

1) निर्माण स्थल पर सभी लोगों को हर समय व्यक्तिगत रक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटे-क्टिव इक्विपमेंट) पहनने होंगे।

• कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रक्षा उपकरण (यानी सुरक्षा चश्मे, मजबूत हैट, चश्मे, दस्ताने आदि...) को अच्छी कामकाजी हालत में रखा जाएगा।

• जब पीपीई में टूट-फूट होती है या ये इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते हैं तो कर्मचारी अपने फोरमैन / सुपरवाइज़र से कहकर इन चीज़ों को नये या कामकाजी उपकरण से बदलवाएगा।

• सभी साइटों पर बूट हमेशा पहने जाएंगे। जूते आदि नहीं पहनने हैं।

• काम की जगह पर होने के दौरान हमेशा मजबूत हैट पहनना अनिवार्य है। मजबूत हैट की पट्टी को सही स्थिति में रखते हुए इसे पहनना चाहिए।

• सुरक्षा चश्मों को हमेशा पहना जाएगा।

• पानी में या पानी के आस-पास काम करते समय कर्मचारियों के लिए जीवन-रक्षक जैकेट (लाइफ़ वेस्ट) पहनना आवश्यक हो सकता है।

• शोर वाली जगहों में या इनके आस-पास काम करते समय कानों की रक्षा करने वाले उपकरण पहने जाएंगे। (85 डेसिबल dBA या अधिक शोर होने पर)

2) कदम बढ़ाते हुए अपने आस-पास सतर्क निगाह रखें, फिर चाहे आप चल रहे हों, कहीं चढ़ रहे हों या आप किसी भी गतिविधि में शामिल हों और सुरक्षा के बेहतर तरीकों के मुताबिक काम करें।

3) गाड़ियों और भारी उपकरण के ड्राइवरों और ऑपरेटरों द्वारा सरकारी नियमों और निर्माण से जुड़े नियमों, खास तौर पर गति सीमा वाले नियमों की समस्त ट्रैफिक आवश्य-कता का पालन किया जाएगा।

4) गाड़ी में सभी लोग हमेशा सीट बैल्ट पहनेंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाते समय धूम्रपान नहीं करेगा।

5) खतरनाक जगह के आस-पास काम करते समय, बेरिकेड/चेतावनी बोर्ड/सूचक झंडी लगाई जाएगी। जैसे गड्ढा, खुदाई क्षेत्र, बंद स्थान, खुदाई व खंदक क्षेत्र, सड़क पार करने वाली जगह, लोगों या सामान के ऊपर होने वाला काम आदि।

6) ऊंची जगहों या खुदाई क्षेत्र में चढ़ते समय या नीचे आते समय उपयुक्त सीढ़ियों (जीनों) का उपयोग करें और एक बार में केवल एक ही कदम रखें।

7) निर्माण और कार्यालय क्षेत्र में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।

8) काम की जगह पर हमेशा सफाई की अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। हमेशा काम की जगह को साफ-सुथरा बनाए रखें। जब आप अपना काम खत्म कर लें या आपके काम की जगह पर काम पूरा हो जाए तो सभी बचे-खुचे सामान और बेकार वस्तुएं हटा दें।

9) काम आने वाले उपकरण को हमेशा सही स्थिति में रखें और इनकी निगरानी भी रखें।

10) सुरक्षित कामकाजी स्थिति में रखे गए उपयुक्त औजारों व उपकरणों का ही उपयोग करें।

11) भार उठाते समय सामान्य तरीके से भार उठाने की उचित तकनीकों का उपयोग करें या सहायता प्राप्त करें अथवा यांत्रिक तौर पर भार उठाने के तरीके का इस्तेमाल करें।

12) केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही खाने या आराम करने की अनुमति है।

13) गतिविधि करने वाली मशीनरी के आस-पास ढीलेढाले कपड़े या गहने बिलकुल भी नहीं पहने जाएं।

गलत

सही

अनुशासनिक कार्रवाई

14) साइट सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मचारी उन कर्मचारियों को चेतावनी देंगे जो कंपनी और निर्माण संबंधी सुरक्षा नीतियों का पालन नहीं करते हैं।

15) अगर, काम के दौरान या काम की वजह से, कार्यकर्ता अपने नियोक्ता, प्रभारी प्रबंधक या अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह क्षतिपूर्ति या सेवा के अंत के पैसे बिना नौकरी से बरखास्त कर दिया जाएगा ।

16) काम के दौरान या काम की वजह से सहयोगियों के साथ लड़ाई या मार पीट करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

रिपोर्ट

17) काम पर लगी सभी चोटों/बीमारी/वाहन दुघर्टना - आग लगने, रिसाव होने की सभी घटनाएं - असुरक्षित स्थिति, काम के तरीके, दुघर्टनाओं से बाल-बाल बचने या कोई घटना घटित होने की तत्काल सूचना सुपरवाइजर या सुरक्षा विभाग को दें।

18) यदि किसी कर्मचारी का सुरक्षा के बारे में प्रश्न है तो उन्हें यह प्रश्न अपने प्रत्यक्ष सुपरवाइजर से पूछना है जो सुरक्षा पद्धतियों के बारे में उन्हें निर्देश देगा या इस मामले को अगले पर्यवेक्षण स्तर उठाएगा।

अग्नि सुरक्षा

19) कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्र की देखभाल और उसके उपयोग से परिचित होना चाहिए।

20) सभी अग्निशामक यंत्र और अन्य आपातकालिन उपकरण अच्छी स्थिति में रखे जाएंगे, नियमित रूप से उनका परीक्षण होगा और इनके सामने मौजूद किसी भी प्रकार की बाधा को हटाया जाएगा।

21) सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों को स्थानीय आपात प्रतिक्रिया योजना के अनुसार बाहर निकाला जाए।

22) ईंधन वाले सभी स्रोतों को अलग कर दें।

23) कभी भी अग्निशामक यंत्र का उपयोग शरीर के किसी हिस्से पर न करें। कामकाजी जगहों पर धूम्रपान की अनुमति नहीं है।

24) सभी अग्निशामक सामग्री की नियिमत रूप से जांच की जाएगी।

संकेत - सामग्री का उपयोग - औजार

25) सड़क या पार्किंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक चमकीले रंग वाली जैकेट पहनना और रिफलेक्टर फ्लैग या लाइट का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है।

26) हाथ के सभी औजार, पावर टूल्स और अन्य सामान उपकरण को सुरक्षित स्थिति में रखा जाएगा चाहे इन्हें नियोक्ता द्वारा दिया गया हो या कर्मचारी द्वारा।

27) उपयोग से पहले कर्मचारी कलर कोड की जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है।

28) जब पावर टूल्स को गार्ड (अवरोधक) शामिल करते हुए बनाया जाता है तो उपयोग के समय ऐसे गार्ड लगे रहेंगे।

29) हाथ से बने कोई भी औजार स्वीकार्य नहीं है।

30) प्रयोक्ता द्वारा प्रत्येक बार उपयोग करने से पहले औजारों की इन गड़बड़ियों की जांच की जाएगी जैसे कि दरार वाले हैंडल, टूटे हुए काटने वाले सिरे, अलग हो चुके, दरार वाले या टूटे-फूटे पार्टस और घिसे हुए इलेक्ट्रिकल लीड।

31) एब्रेसिव व्हील (घिसाई प्लेट) को ऑफ करने के बाद केवल सक्षम व्यक्ति द्वारा ही बदला जाना चाहिए।

32) ऑपरेटर को उपकरण उपयोग करते समय ढीले कपड़े पहनने से प्रतिबंधित किया जाता है जिनसे कपड़े फँसने का जोखिम उपस्थित होता है।

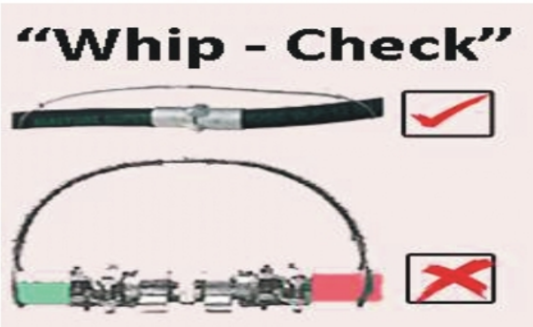

33) पाइप में दबाव बढ़ने की स्थिति में अनियंत्रित रूप से पाइप फटने को रोकने के लिए एक «व्हीप-चैक» द्वारा औजारों और अन्य उपकरण के सभी एयरलाइन पाइप को कसा जाएगा।

34) एयरलाइन को नुकसान से बचाया जाएगा, नियमित रूप से जांच की जाएगी और अच्छी स्थिति में रखा जाएगा।

35) केवल प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारी को ही पाउडर छोड़ने वाले उपकरणों के उपयोग की अनुमति होगी।

36) कर्मचारियों को हैंड टूल के निर्माता के निर्देशों के अनुसार इनका उपयोग करते हुए अतिरिक्त पीपीई (व्यक्तिगत रक्षा उपकरण) पहननी चाहिए।

खुदाई

37) खुदाई से पहले सार्वजनिक सेवाओं जैसे सीवर, बिजली, टेलीफोन, ईंधन आदि या किसी अन्य भूमिगत स्थापन की अनुमानित जगह को निर्धारित किया जाएगा और खुदाई की जगह के अधिकृत विभाग से खुदाई की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

38) खुदाई की जगह पर मिट्टी का प्रकार तय करें। (टाइप ए, बी, सी)

39) ओएसएचए 1926.652 के अनुसार तैयार की गई समुचित रक्षात्मक प्रणाली द्वारा खुदाई में प्रत्येक कर्मचारी की मिट्टी ढहने से रक्षा की जाएगी।

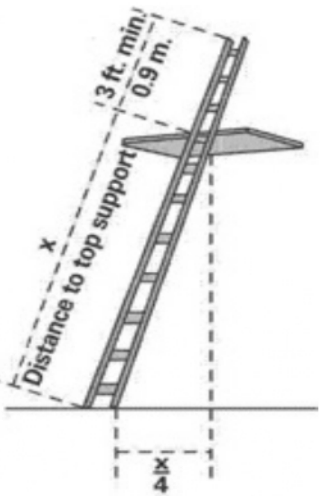

40) 1.20 मीटर से अधिक गहरी खुदाई की जगहों पर कर्मचारी जीने, सीढ़ी या रैंप के बगैर नहीं जाएंगे। उस स्थान पर पहुंचने के लिए सीढ़ी या अन्य साधनों को खंदक में प्रत्येक 100 फुट (30 मीटर) और खंदक के ऊपर न्यूनतम 3 फुट (1 मीटर) पर प्रदान किया जाएगा।

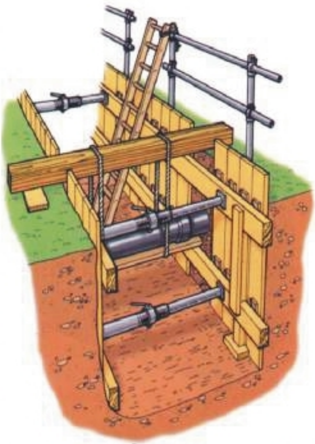

41) कर्मचारी खुदाई की ऐसी जगहों पर सक्षम व्यक्ति द्वारा डिजाइन और रक्षात्मक प्रणाली की समीक्षा किए बगैर और उसके बाद सुरक्षा विभाग या सक्षम व्यक्ति द्वारा खुदाई की जगह पर प्रवेश के लिए स्वीकृति लिए बगैर नहीं जाएंगे जो 1.5 मीटर से गहरी है।

42) सक्षम व्यक्ति द्वारा खुदाई की जगह, आस-पास के क्षेत्रों और रक्षात्मक प्रणाली का रोजाना निरीक्षण किया जाएगा।

43) 5 फुट (1.5 मीटर) से अधिक गहरी खुदाई की जगह में कर्मचारी के प्रवेश करने से पहले वहां के वातावरण की जांच की जाएगी।

44) जहां पर खंदक/खुदाई 1.5 मीटर से अधिक है, वहां पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी;

- खंदक/खुदाई की जगह की दीवारों पर टेक लगाना (शोरिंग)
- ढलान बनाना (स्लोपिंग)
- सीढ़ीनुमा खुदाई करना (बेंचिंग)

45) स्पोइल पाइल (खुदाई के किनारों को सहारा देने वाले लटठे) या उपकरण खुदाई के किनारे से कम से कम 3 फुट (0.90 मीटर) की दूरी पर लगाये जाएंगे।

46) भारी उपकरण, भारी वाहन या क्रेन को किसी भी खुदाई की जगह में 5 फीट (1.5 मीटर) के दायरे के भीतर उपयोग नहीं किया जाएगा।

47) गहराई में खुदाई की जगह तक केवल अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश करेगा।

48) भूमिगत सार्वजनिक सेवाओं के लगभग 5 फीट (1.5 मीटर) तक हाथ से खुदाई की जाएगी।

49) कर्मचारी खुदाई की ऐसी जगहों पर काम नहीं करेंगें जहां पर जमा पानी होता है जबतक कि जमा पानी द्वारा उपस्थित खतरे - मिट्टी ढहने से कर्मचारी की सुरक्षा करने के लिए समुचित सावधानियां नहीं बरती जाती हैं।

50) बारिश के समय खुदाई का काम रोक दिया जाएगा।

51) सभी खुदाई व खंदकों को संकेतों, चेतावनी चिन्ह और बैरिकेड से उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा। चेतावनी रोशनी रात के समय की जाएगी जबकि वहां पर कर्मचारी या वाहन/भारी उपकरण की गतिविधि होती है।

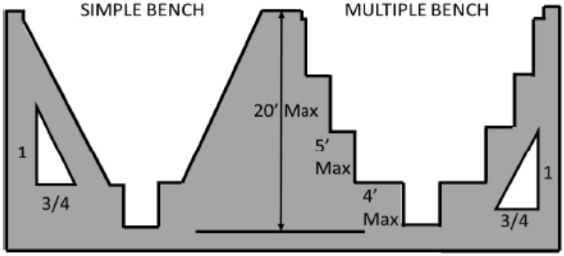

Sliding Failure

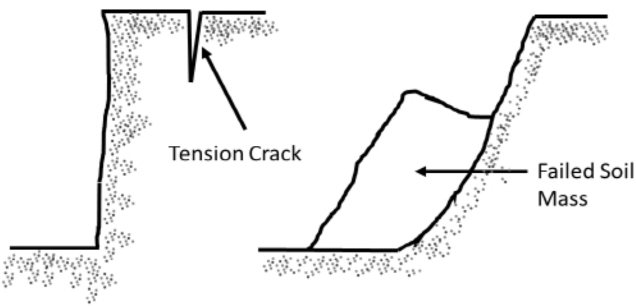

सीढ़ियां – जीना और मचान

52) काम के लिए सही जीने का प्रयोग करें। (बिजली आदि के काम के लिए फाइबर या लकड़ी का जीना)

53) **जीने के प्रत्येक उपयोग से पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा।** क्षतिग्रस्त या खराब जीने जैसे कि टूटे हुए या गायब पायदान, क्लीट या डंडे लेकिन इसी तक सीमित नहीं कि सूचना तुरंत देनी चाहिए और उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक उनकी मरम्मत न हो जाए।

54) प्रत्येक पोंटेबल जीना, जो कि अपने-आप खड़ा नहीं रह सकता; वांछित वजन से कम से कम चार गुणा वजन को सहने में सक्षम होना चाहिए। जीने को ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां से उनके खिसकने या गिरने की संभावना हो।

55) एक समय पर केवल एक ही कर्मचारी को जीने का इस्तेमाल करना चाहिए।

56) सीढ़ी काम की जगह नहीं है।

57) नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी को एक सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

58) प्रत्येक कर्मचारी को जीने पर चढ़ते/उतरते समय कम से कम एक हाथ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। चढ़ते समय, हमेशा जीने के साथ 3-बिंदु संपर्क बनाए रखना चाहिए (2 हाथ, 1 पैर या 1 हाथ 2 पैर)।

59) कभी भी जीने के सबसे ऊपर वाले पट्टे या/ऊपरी भाग जहां पट्टा नहीं होता पर काम न करें। कभी भी बिना सहारेवाले या बिना बंधे जीने का प्रयोग न करें।

60) कभी भी बिजली के उपकरणों या कंडक्टरों (जिनसे बिजली गुजर सकती है) पर या उनके पास कार्य करते समय धातु के जीने का प्रयोग न करें; केवल अचालक (जिनसे

बिजली नहीं गुजर सकती) जीने का प्रयोग करें।

61) कभी भी जीने को मचान, कार्यस्थल, पत्थर या ऐसी समान वस्तुओं से सहारा न दें।

62) सुनिश्चित करें कि जीने को सबसे उंचे उतरने के स्थान से न्यूनतम 3 फीट (1 मीटर) तक विस्तारित करना चाहिए। आमतौर पर जीना 4:1 की ढलान पर सेट किया जाता है।

63) जीने पर पेंट की परत नहीं लगाई जाएगी।

64) सिर्फ प्रशिक्षित / प्रमाणित व्यक्ति ही युकसेल निर्माण स्थल पर स्थापना, संशोधन, स्थान परिवर्तन, निरीक्षण और मचान का विघटन कर सकता है।

65) मचान को प्रयोग करने और प्रत्येक शिफ्ट से पहले उसका सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

66) रेलिंग और टो बोर्ड को सभी खुले स्थानों पर स्थापित करना चाहिए और रेलिंग की ऊंचाई कार्यस्थल से 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी मचान तक उचित पहुंच और उनसे बाहर निकलने के लिए जीना या अन्य समकक्ष साधन उपलब्ध होने चाहिए। कर्मचारियों को एक से दूसरे ब्रेसिस पर नहीं जाना चाहिए।

67) सभी मचानों को इस तरह से डिजाइन और निर्मित करना चाहिए कि वह बचाव के लिहाज से वांछित भार से चार गुणा भार उठा सकें। आवश्यक सभी घटकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि घटकों को क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो उनकी सूचना तुरंत सुपरवाइज़र को देनी चाहिए और उन्हें तब तक काम में नहीं लाया जाना चाहिए, जब तक उनकी मरम्मत न हो।

68) मचान को केवल किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में स्थापित किया जाना चाहिए जिसे मचान सक्षम व्यक्ति के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त हो। सभी कर्मचारियों को मचान जागरूकता प्रशिक्षण में हाजिर होना चाहिए जो मचान का प्रयोग करते हों।

69) प्रत्येक प्लेटफॉर्म को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि निकटवर्ती इकाइयों के बीच की जगह और मंच के बीच की जगह और खंभों के बीच 1 इंच (2.5 सेंटीमीटर) से ज़्यादा चौड़ी जगह न हो।

70) मचान के तख्ते इस प्रकार लगाये जाने चाहिए कि ये कम से कम 30 सेमी एक-दूसरे के ऊपर रखे गये हों या इन्हें इस प्रकार बांधा जाना चाहिए कि हिल-डुल न सकें।

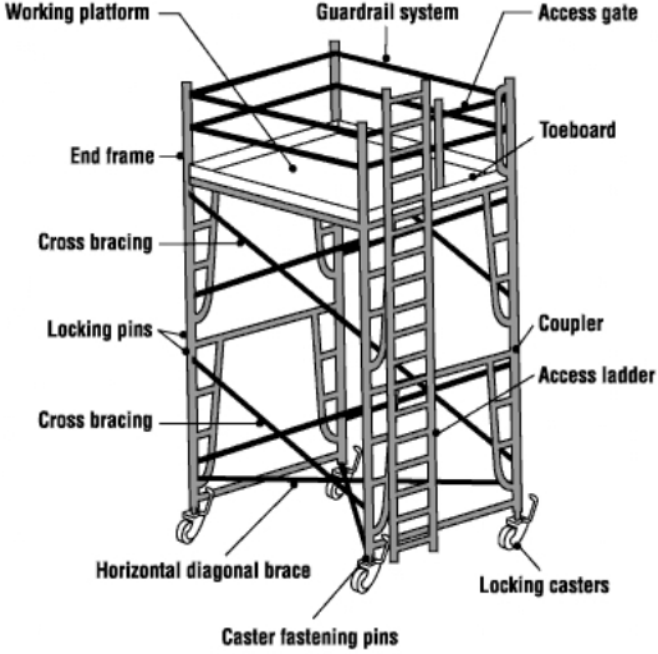

71) रैलिंग कार्यस्थल से लगभग 110 सेंटीमीटर ऊपर स्थापित की जानी चाहिए। रैलिंग में किसी भी दिशा से कम से कम 125 किलोग्राम का वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए।

72) टो बोर्ड की ऊंचाई कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मचान को बिजली के खतरों से दूर स्थापित करना चाहिए।

73) जब सक्रिय जगह पर हों और बिजली के उपकरणों या कंडक्टर के पास काम करना हो तो मचान की स्थापना नहीं करनी चाहिए; ।

74) मचान निरीक्षण टैग मचान की स्थिति को दर्शाने के लिए दृश्यमान होना चाहिए।

75) कभी भी उन मचानों पर काम करने का प्रयास न करें जिन पर लाल रंग का टैग लगाया गया है।

76) बुनियाद में मचान के भार को और उसे हटाने की प्रक्रिया को सहने व सहारा देने की क्षमता होनी चाहिए। ठोस सतह जैसे कंक्रीट या स्टील, जिसमें पर्याप्त शक्ति और मोटाई है, मानकों को 15 x 15 सेंटीमीटर की बेस प्लेट का उपयोग करके सतह पर सीधा रखा जा सकता है। अन्य सतह जिसमें लोड सहने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, उनपर लोड सोल बोर्ड (मडसिल्स और बेस प्लेट) का इस्तेमाल करके विस्तारित किया जा सकता है।

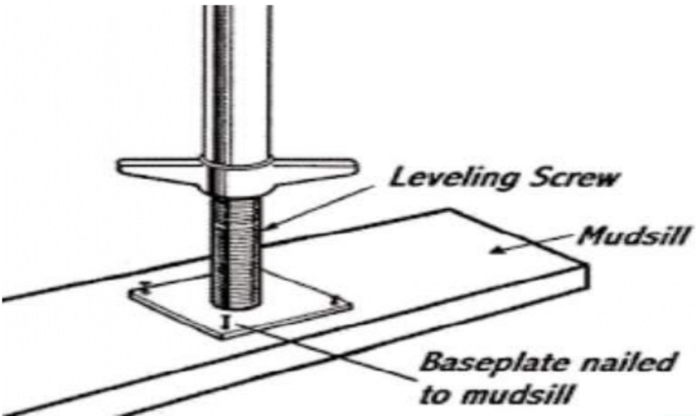

77) कार्यस्थल की कार्य के अनुसार पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए, जिसपर कार्य किया जा रहा है, लेकिन सभी काम के प्लेटफॉर्म का न्यूनतम आयाम 60 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और काम के प्लेटफॉर्म की सतह में कोई गैप नहीं होना चाहिए।

78) कभी भी उन मचान पर काम करने का प्रयास न करें जिन्हें लाल रंग के टैग के साथ तैनात किया गया है जबतक कि उन्हें हरे रंग से टैग करके सही न कर दिया जाए।

गिरने से बचाव

79) यदि आपको गिरने से बचाव की या पोजीशनिंग उपकरणों के इस्तेमाल की आवश्यकता है तो आपको इन उपकरणों को ठीक ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

80) यदि काम करने की ऊंचाई जमीन से या फिर कार्यस्थल से 6 फुट (1.8 मीटर) से अधिक है तो आपको गिरने से बचाव वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

81) सुपरवाइज़र को उस कार्यस्थल के लिए गिरने से बचाव वाले प्लान को विकसित करने या पालन करने की आवश्यकता भी हो सकती है।

82) जब कर्मचारी एक फुल बॉडी हार्नेस पहन रहा हो तो गिरने से बचाने वाले चुने हुए सिस्टम द्वारा 800 किलो तक के गिरावट के बल को नियंत्रित करना चाहिए । फुल बॉडी सैफ्टी हार्नेस को 2 कमरबंद के साथ प्रदान करना चाहिए ताकी सुरक्षा लगातार बनी रहे।

83) एंकर प्वाइंट में प्रति कर्मचारी 2250 किलोग्राम वजन या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रभावी भार का दुगुना वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए। चुने हुए एंकर प्वाइंट को हमेशा आपके काम की सतह के ऊपर होना चाहिए।

84) कमरबंद और सीधी जीवनरक्षक रस्सी की टूटने की क्षमता कम से कम 22.2 KN की होनी चाहिए।

85) लाइफलाइन और सभी गिरने से बचाव करने वाले उपकरणों का कटने और घिसने से बचाव किया जाना चाहिए।

86) निरीक्षण के लिए पहले; बकल की जांच करें – कैरा-बाइन वैबिंग (अस्त-व्यस्त, चटका हुआ, कटा हुआ, जला हुआ या किसी अन्य तरह से हुई क्षति को देखें) डी-रिंग (डी-रिंग झुका हुआ, चटका हुआ, खरोंच लगा हुआ या छिदा हुआ है) निर्माता लेबल (हार्नेस का आकार, सीई प्रमाणित, हार्नेस के निर्माण की तारीख, मॉडल संख्या)

87) गिरने से बचाव करने वाले ऐसे व्यक्तिगत सिस्टम और पुर्जे, जो भार पड़ने से प्रभावित होते हैं, को तत्काल सेवा से हटाना चाहिए और उस समय तक कर्मचारी रक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि टूट-फूट से मुक्त और दोबारा उपयोग के लिए उपयुक्त होने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण और निर्धारण नहीं किया जाता है।

88) गिरने से बचाव वाले व्यक्तिगत सिस्टम को पहनने के लिए इस्तेमाल में लाने से पहले उनके क्षतिग्रस्त होने और अन्य क्षय का निरीक्षण होना चाहिए और दोषपूर्ण घटकों को सेवा से निकाल देना चाहिए।

89) सभी गिरने से बचाव वाले उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए न कि सामग्री को रखने के लिए।

90) 25 सेमी x 25 सेमी से अधिक खुली जगाह वाले गड्ढों की या तो रखवाली होनी चाहिए या उन्हें ढका होना चाहिए।

91) सुरक्षा जाल सिस्टम को कर्मचारियों के कार्यस्थल पर जितना पास हो सके, स्थापित होना चाहिए जहां वह कार्य/चलना-फिरना करते हों लेकिन किसी भी परिस्थिति में कार्यस्थल से 30 फीट (9.1 मीटर) से नीचे नहीं।

92) हवा में लटके हुए व्यक्ति के लिए जल्द से जल्द बचाव कार्य किया जाना चाहिए, नहीं तो उसे गंभीर शारीरिक और स्वास्थ्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

93) जब भी हार्नेस से लटक कर काम कर रहे हों तो एक बचाव योजना अवश्य प्रभाव में होनी चाहिए।

क्रेन चलाना

94) भार उठाने के काम की अनुमति केवल योग्य कर्मचारियों को ही होती है। लटकी हुई वस्तुओं के निरीक्षण और भार उठाने की सभी सहायक चीज़ों के निरीक्षण के लिए कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं ताकि इनके उपयोग से पहले नुकसान व गलती से बचा जा सके।

95) टूटे-फूटे भार उठाने के यंत्र/उपकरण को तत्काल उपयोग से हटा दिया जाएगा।

96) कर्मचारी एक सक्षम व्यकित को निर्धारित करेगा जो प्रत्येक उपयोग से पहले और उपयोग के दौरान सभी मशीनरी और उपकरण का निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये काम करने की सुरक्षित स्थिति में हों। किसी भी कमी के लिए इनकी मरम्मत की जाएगी या उपयोग जारी रखने से पहले गड़बड़ी वाले हिस्से को बदला जाएगा।

97) सामान को ऊपर उठाने वाली मशीनरी (होइ-स्टिंग) का नियमित निरीक्षण सक्षम व्यक्ति/एजेंसी या सरकार द्वारा किया जाएगा।

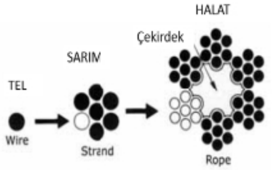

98) यदि झुलती हुई रस्सियों के सहारे काम किया जा रहा है तो एक जोड़ वाली छह बराबर बांटे गए तारों या एक जोड़ वाली तीन तारों को, किसी भी कारण, मुड़ने, कुचलने या किसी अन्य नुकसान से होने वाले नुकसान का पता चलने पर रस्सी को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।

99) <u>क्रेन से लटकते बोझ के नीचे न खड़े हों।</u>

100) अधिक वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन से काफी खतरा होता है जब ट्रांसमिशन लाइन से असल में संपर्क हुए बगैर भी किसी व्यक्ति या वस्तु को बिजली का झटका लग सकता है।

101) भार, हुक, टोकरी, सामान ऊपर उठाने की सामग्री या सामान ऊपर उठाने के अन्य उपकरण जो कर्मचारी उपयोग के लिए नहीं है, पर सवारी करना प्रतिबंधित है।

102) आप केवल अपनी आंख का उपयोग करके क्रेन को बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैब में या कैरियर डेक में लगे लेवल का उपयोग करें। कारपेंटर के लेवल का उपयोग करें।

103) जब भार या काम के दायरे के लिए आउटरिगर की ज़रूरत होती है या जब कभी उनका उपयोग किया जाता है, तो आउटरिगर को लोड चार्ट में बताई गई सेटिंग तक पूरी तरह से विस्तारित किया जाएगा। आउटरिगर को लगाया जाता ताकि मशीन का भार प्रत्येक व्यवस्था में पहियों से पूरी तरह से हट जाए।

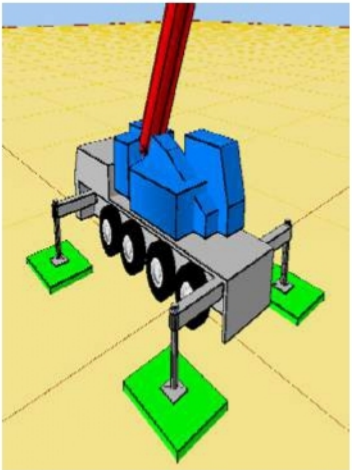

गलत

सही

104) आउटरिगर फ्लोट को कसकर जोड़ा जाएगा। आउटरिगर फ्लोट के नीचे किसी भी अवरोध को फ्लोट की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक होना चाहिए ओर इसे कठोर होना चाहिए व पूरी तरह से कुल क्षेत्र को सहारा देने वाला होना चाहिए। आउट-रिगर बीम के नीचे अवरोध न लगाएं।

105) तार के लिए आई (खांचे) बनाते समय, यू-बोल्ट वायर-रोप क्लिप का उपयोग करने पर सुनिश्चित करें कि ''यू'' सेक्शन रस्सी के बंद सिरे से जुड़ा हो। वायर-रोप में जोड़ लगाने के लिए वायर रोप क्लिप का उपयोग नहीं किया जाएगा।

106) लटकन (स्लिंग) पर निर्माता का नाम, उस प्रकार की पकड़ के लिए रेटिंग युक्त क्षमता और सामग्री का प्रकार लिखा जाना चाहिए या इसका कोड डाला जाना चाहिए। महतवपूर्णः यदि आप पढ़ नहीं सकते तो इसका उपयोग न करें!

107) जब रंगीन रेशा दिखने लगे तो लटकन को बदल देना चाहिए । निर्माता द्वारा अनुशंसित माला से अधिक टूट-फूट या लचीलापन आता है। जब गांठ, छेद, टूट-फूट या कटी हुई जगह दिखने लगती है।

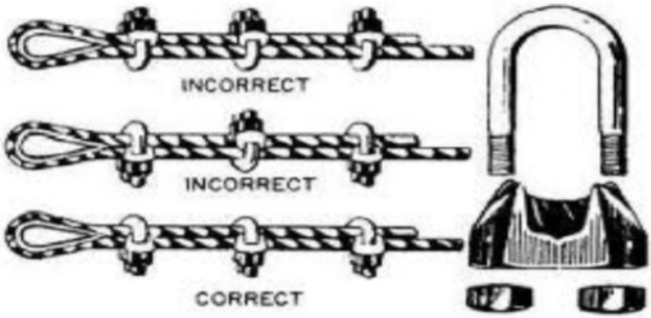

108) क्रेन ड्रम, शीव्स और पुली मुक्त रूप से चलायमान होंगी और सतह की गड़बड़ी से मुक्त होंगी।

109) केवल निशान वाली बेड़ी का उपयोग किया जाएगा। कभी भी ऐसे कोण पर बेड़ी को खींचे जाने की अनुमति न दें क्योंकि इसके सिरे खुल जाएंगे। निरीक्षण करते समय टूट-फूट, दरार और कटे होने की
जांच करें।

110) भार को ऊपर उठाते समय सेफ्टी पिन के बगैर खुले हुक का उपयोग प्रतिबंधित है।

111) प्रत्येक क्रेन में संचालन के समय हमेशा निम्नलिखित दस्तावेज़ (कैब में) रहेंगे:

- प्रचालन नियमावली (ऑपरेटिंग मैनुअल)
- किसी भी क्रेन ऑपरेटर की मदद के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल / दैनिक जांचसूची
- क्रेन की लॉग बुक।
- लोड चार्ट

112) क्रेन लिफ्ट को 50 किमी/घंटे से ऊपर की वायु गति पर चलाया नहीं जाएगा, जब तक कि निर्माता द्वारा अन्य प्रकार से न बताया गया हो। 30 किमी/घंटे से अधिक वायु गति पर मैन बास्केट को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

113) मेन बास्केट के भीतर सभी कर्मचारियों को मुख्य क्रेन हुक से बंधी लाइन वाले पूरे शरीर का हार्नेस पहनना चाहिए जो कि मेन बास्केट से हमेशा स्वतंत्र होता है।

114) हैंडरेल, मिड-रेल पर चढ़ना या जीने, पायदान, कामकाजी प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, ताकि मेन बास्केट की अंतिम स्थिति के बाद अतिरिक्त ऊंचाई हासिल की जा सके, सख्ती से प्रतिबंध है।

115) किसी ढांचे या कार्यस्थल पर पहुंचने के माध्यम के तौर पर मेन बास्केट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

116) जब मेन बास्केट या एमईडब्ल्यूपी का उपयोग पानी के खतरों के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है तो व्यक्तिगत रक्षा (तैरने वाले) उपकरण कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे और वे इन्हें पहनेंगे।

117) मेन बास्केट के साथ काम करते हुए अच्छी संवाद प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी।

118) इस काम में जुड़े सभी कर्मचारियों को क्रेन के हाथ वाले सिग्नल व काम के खतरों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

वैल्डिंग और कटिंग

119) जो कमर्चारी वैल्डिंग और कटिंग की गतिविधि करते हैं, उन्हें सक्षम और प्रशिक्षित होना चाहिए।

120) सभी वैल्डिंग और कटिंग गतिविधि क्षेत्रों को उड़ने वाली चिंगारी और वस्तुओं से परिरक्षित करना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं उनकी सुरक्षा की जा सके।

121) सभी वैल्डिंग गतिविधियों को अच्छे हवादार क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सीमित स्थान में वैल्डिंग, कटिंग या हीटिंग करते समय ज़रूरत पड़ने पर सामान्य यांत्रिक या स्थानीय निकास वेंटिलेशन या एयरलाइन श्वासयंत्र अवश्य प्रदान करने चाहिए। नीचे सूचीबद्ध तत्वों या शर्तों के साथ काम करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए;

a) बंद स्थानों में जिंक, लैड, कैडमियम, मरकरी, या बैरिलियम-युक्त, आधारित या कोटेड सामग्री।

b) अक्रिय गैस उपकरणों के साथ स्टेनलेस स्टील।

c) सीमित स्थानों में

d) जहां किसी असामान्य हालात (जैसे कि पर्याप्त वैंटिलेशन की कमी) के कारण असुरक्षित दूषणकारी तत्वों का संचय हो सकता है।

122) केबल, पाइप और अन्य उपकरणों को गली, जीने और सीढ़ियों से दूर रखा जाएगा। कर्मचारी जो वैल्डिंग, कटिंग या हीटिंग का कार्य कर रहे हों उन्हें खतरों के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुरक्षित किया जाएगा। वैल्डिंग व कटिंग उपकरणों का प्रत्येक उपयोग से पहले कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

123) भंडारण में ऑक्सीजन सिलेंडर को ईंधन गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील पदार्थों (खासतौर पर तेल और ग्रीस) से अलग रखा जाएगा। कम से कम 20 फीट (6.1 मीटर) की दूरी या फिर किसी गैर ज्वलनशील बैरियर, जिसमें कम से कम एक--आधे घंटे की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता हो, से कम से कम 5 फीट (1.5 मीटर) ऊपर होगा।

124) बिल्डिंग के अंदर, सिलेंडर को अच्छी तरह से सुरक्षित अच्छी तरह हवादार, सूखी जगह पर संग्रहीत करना चाहिए, अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री और प्रवेश और निकास की गलियों से कम से कम 20 फीट (6.1 मीटर) दूर रखना चाहिए।

125) सिलेंडर को वास्तविक वैल्डिंग या कटिंग के क्षेत्र से इतनी दूर रखना चाहिए कि चिंगारी, गर्म लावा या लपट की पहुंच से वह दूर रहें।

126) सिलेंडर को वहां रखा जाना चाहिए, जहां वे विद्युत सर्किट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।

127) वैल्डिंग कंबल का इस्तेमाल आस-पास के उपकरण और सामग्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि वैल्डिंग से निकली चिंगारी से संपर्क का खतरा हो तो वैल्डिंग कंबल लगाया जाएगा।

128) वैल्डिंग और कटिंग पीपीई को किसी भी प्रकार के वैल्डिंग और कटिंग कार्य के दौरान पहनना होगा।

129) जिन सिलेंडर में ऑक्सीजन या एसीटिलीन या अन्य ईंधन गैस भरी होगी उन्हें सीमित क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाएगा।

130) होज कनेक्शन, सिलेंडर, कैप और वॉल्व, कपलिंग, रेग्यूलेटर और सभी उपकरणों को ग्रीस और तेल से मुक्त रखा जाएगा।

131) सिलेंडर चाहे भरे हुए हों या खाली हों, उन्हें रोलर या सहारा देने के काम में नहीं लाया जाएगा।

132) सिलेंडर की वॉल्व को हमेशा धीरे से खोला जाएगा ताकि रेग्यूलेटर को नुकसान से बचाया जा सके। जल्दी से बंद करने के लिए, ईंधन गैस सिलेंडर को 1 ½ घुमाव से ज़्यादा नहीं खोला जाएगा।

133) अगर कोई ईंधन गैस सिलेंडर की वॉल्व खोलने के बाद वॉल्व सिस्टम में लीकेज पाई जाती है तो वॉल्व को बंद करें और ग्लैंड नट को टाइट करें। अगर यह करने से भी लीकेज नहीं रूकती तो सिलेंडर के इस्तेमाल को रोक दें और उसे सही ढंग से टैग करके कार्यस्थल से हटा देना चाहिए।

134) सभी आर्क वैल्डिंग और कटिंग कैबल पूरी तरह से विद्युत-रोधी होनी चाहिए और अधिकतम वर्तमान आवश्यकताओं से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर में 3 मीटर के दायरे में कोई भी मरम्मत या जोड़ नहीं होना चाहिए, सिवाए उसके जहां जोड़ को केबल के बराबर विद्युत-रोधी किया गया है। खराब केबल की मरम्मत कर देनी चाहिए या उसे बदल देना चाहिए।

135) ईंधन गैस पाइप या ऑक्सीजन पाइप को एक दूसरे से आसानी से अलग पहचाना जाएगा। यह फर्क उन्हें अलग-अलग रंगों से बनाकर किया जाएगा। जब ऑक्सीजन और ईंधन गैस पाइप को बराबर में करके टैप लगाया जाएगा तो 50 सेमी में से 10 सेमी से अधिक को टेप से कवर नहीं किया जाएगा।

136) सभी आर्क वैल्डिंग और कटिंग मशीनों की अर्थिंग की जाएगी। अर्थिंग वाले सभी कनेक्शन की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच होगी कि वे जरूरी करंट के अनुसार यांत्रिक रूप से मजबूत और विद्युतीय तौर पर पर्याप्त हैं।

137) वैल्डिंग और कटिंग उपकरणों का प्रत्येक काम की शिफ्ट की शुरूआत से पहले निरीक्षण किया जाएगा।

138) जब व्यावहारिक हो तो वैल्ड, काटे या गर्म की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा और यदि वैल्ड, काटे या गर्म की जाने वाली वस्तुओं को तुरंत ले जाया नहीं सकता है तो आस-पास के आग लगने वाले सभी गतिशील खतरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा या सुरक्षित कर दिया जाएगा।

139) भी अग्निशामक यंत्र कामकाजी क्षेत्र में तुरंत उपलब्ध रहेंगे।.

140) सिलेंडर के लिए चिंगारी रोकने वाले उपाय (फ्लैश अरेस्टर सिस्टम) का उपयोग किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर के सभी वॉल्व ठीक तरह से काम कर रहे हैं।

141) जहां भी सिलेंडर रखें, संभाले या उपयोग किए जाते हैं वहां धूम्रपान प्रतिबंधित है। ''धूम्रपान नहीं'' क्षेत्र बताने के लिए चेतावनी चिन्ह लगाए जाएंगे।

142) सिलेंडर को जब ऊपर उठाया जाता है, उस स्थिति को छोड़कर हमेशा सीधी खड़ी अवस्था में रखा जाएगा । हालांकि, एसीटलेन सिलेंडर को कभी भी खड़ी हुई स्थिति में नहीं रखना चाहिए।

143) सिलेंडर को खींचना, लुढ़काना या सरकाना नहीं चाहिए।

144) प्रत्येक गैस सिलेंडर में एक "की रैंच" देना चाहिए और हाथ से बना "की रैंच" इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

इलेक्ट्रिकल - लॉकआउट और टैगआउट

145) किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, पैनल को खोलने की अनुमति अयोग्य, अनधिकृत व्यक्ति को नहीं होगी न ही वह अनुमति के बिना किसी सर्किट में विद्युत प्रवाह करेंगे।

146) किसी ढांचे, कार्यालय या भवन में विद्युत देने के बाद बिजली वाले सर्किट में नंगे तार छोड़ने की अनुमति नहीं है। सभी वायर सर्किट के सिरों में उनके ''अंतिम उपयोग'' वाला उपयुक्त यंत्र लगना चाहिए।

147) सुरक्षित ढंग से काम करने के लिए प्रत्येक दिन के उपयोग से पहले, कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से सॉकेट, एक्सटेंशन कॉर्ड व केबल, कॉर्ड से जुड़े उपकरण और प्लग का निरीक्षण करेंगे।

148) योग्य कर्मचारी वे होते हैं जो विद्युत उपकरण व सिस्टम के निर्माण व संचालन, इससे जुड़े खतरों के बारे में प्रशिक्षित हैं और ऐसे कर्मचारी जिनके पास विद्युत वाले हिस्सों व उपकरण पर या इसके निकट काम करते हुए विद्युत खतरों से बचने के लिए आवश्यक जानकारी और कुशलता है। अयोग्य कर्मचारी वे हैं जिनके पास इस प्रकार का कम प्रशिक्षण है या बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं है।

149) काम शुरू होने से पहले, प्रभारी व्यक्ति सभी अनुमतियों सहित इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए क्षेत्र का जायजा लेगा।

150) उपकरण व सर्किट को विद्युत मुक्त किया जाएगा। तार व उपकरण के विद्युत वाले हिस्से सुरक्षित किए जाएंगे।

151) ट्रांसफॉर्मर/अधिक वोल्टेज वाले उपकरण को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना चाहिए, तालाबंद, अर्थिंग युक्त और अच्छी तरह स्थापित किया जाना चाहिए।

152) लचीले तारों में आवश्यक कंडक्टर के साथ उपकरण ग्राउंड कोर्ड भी होगी। कामकाजी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वायर/लचीले तार को आने जाने वाले लोगों के पैरों, वाहनों और नुकीले कोनों के नुकसान से बचाया जाएगा।

तारों के जोड़ किए जाने चाहिए:

- योग्य इलेक्ट्रिशियन द्वारा ।
- इंसुलेशन = जोड़ वाले तार में।
- वायर कनेक्शन पर सोल्डरिंग।

153) लचीले तार के प्लग और सॉकेट को पानी से दूर रखना चाहिए जबतक कि यह पानी में डूबने योग्य किस्म के प्लग या सॉकेट न हों। प्लग में एक कोर्ड ग्रिप लगाई जाएगी ताकि टर्मिनल के पेंच पर दबाव न पड़े।

154) अस्थायी लाइटिंग स्ट्रिंग/एक्सटेंशन कॉर्ड से जुड़े बल्ब की रक्षा अवरोधक द्वारा की जाएगी। लाइट को केवल उनके तार के सहारे नहीं लटकाया जाएगा। खाली सॉकेट रखने की अनुमति नहीं है। बंद गीले स्थानों और/या खतरनाक स्थानों पर रोशनी अधिकतम 12 वोल्ट पर काम करेगी। यदि टैंक/बंद स्थानों में उपयोग किया जाता है तो स्वीच उपलब्ध कराएं।

155) यदि सॉकेट को गीले स्थान पर उपयोग किया जाता है तो इसे उस प्रकार के मौसमरोधी खांचे में रखा जाएगा जो प्लग जोड़े जाने पर इसकी उपयोगिता को बनाए रखता है। बाहर/गीले स्थानों में अस्थायी रोशनी में ''उस उद्देश्य के लिए निर्मित'' सिस्टम होना चाहिए।

156) संभावित और सुरक्षात्मक ग्राउंड (भूतल संपर्क) के लिए सभी सर्किट व उपकरण की जांच की जाएगी जिसे आवश्यक होने पर उपयोग किया जाएगा। जब एक ही लाइन पर या एक ही समय में उपकरण पर काम करने के लिए एक अलग सदस्य की ज़रूरत होती है तो मल्टीप्लाई लॉकआउट क्लिप का इस्तेमाल सर्किट/उपकरण को लॉकआउट करने के लिए किया जाएगा।

157) विद्युत प्रवाह से मुक्त लाइन या उपकरणों पर काम समाप्त होने पर, सुपरवाइजर/फोरमैन यह निर्धारित करेगा कि उसकी टीम के सभी सदस्य दूर हट गए हैं और उसके टीम द्वारा स्थापित रक्षात्मक ग्राउंड हटा लिया गया है।

GASOLINE GENERATOR

158) तार से लटकाकर पोर्टेबल (उठाने में आसान) औजार न ले जाएं। औजारों को ऊपर उठाने या नीचे करने के लिए तार का इस्तेमाल न करें। डिसकनेक्ट करने के लिए तार या पाइप को झटका देकर न खींचे। तार व पाइप को गर्मी, तेल और नुकीले सिरों से दूर रखें।

159) इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए मोनो फेज हेतु 30 mA, थ्री फेज कनेक्शन के लिए 300 mA प्रदान किए जाएंगे।

160) साइट पर उपयोग के लिए प्लास्टिक कंडुइट के माध्यम से पावर एक्सटेंशन केबल दिया जाएगा और कभी भी 50 मीटर से अधिक लंबे एक्सटेंशन केबल की अनुमति नहीं है।

161) केबल का आकार व रेटिंग उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी और पावर एक्सटेंशन को उपयुक्त समाग्री से बनाया जाएगा।

162) केबल में जोड़ लगाने की अनुमति नहीं है; फिटिंग की सही सामग्री का उपयोग करते हुए तारों को विस्तारित या उनकी मरम्मत की जाएगी।

163) किसी भी इलेक्ट्रिकल औजार का उपयोग प्लग के बिना नहीं करना चाहिए और टूटे-फूटे सॉकेट या बिना कवर वाले एक्सटेंशन केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

164) सभी डिस्ट्रब्यूशन पैनल में एक अंतर्राष्ट्रीय ''विद्युत खतरा'' चेतावनी चिन्ह होगा जिसमें काली रोशनी वाले बोल्ट के साथ एक पीला तिकोना होगा और इसमें पैनल के कवर के संपर्क विवरण का स्थान बताया जाएगा।

165) सभी डिस्ट्रब्यूशन पैनल को तालाबंद रखा जाएगा और चाबियों को केवल इलेक्ट्रिशियन द्वारा रखा जाएगा।

166) सभी डिस्ट्रब्यूशन पैनल मौसमरोधी और अर्थिंग वाले होंगे।

मशीनरी उपकरण - सुरक्षा (गार्डिंग)

167) व्यक्तियों के संपर्क में आने या अन्य प्रकार से खतरा उत्पन्न होने पर सभी बेल्ट, गियर, शॉफ्ट, पुली, ड्रम, चैन, फ्लाईव्हील या अन्य घूमने/हिलने वाले उपकरण के हिस्सों को ढका जाएगा ।

168) स्वचालित निर्माण उपकरण में रिवर्स सिग्नल अलार्म लगा होना चाहिए, रिवर्स अलार्म सुनने योग्य और मौजूदा स्थिति में पर्याप्त रूप से अलग होगा, रिवर्स अलार्म लोगों की आवश्यकता का संकेत देने के अलावा होगा (उपकरण हिलाने/भार झुलाने के खतरे।)

169) मशीनरी/यांत्रिक उपकरण के ऑपरेटर के लिए एलिमेंट, गिरते/हवा से गुजरती वस्तुओं, झूलते हुए भार और किसी प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

170) सभी हाथ के औजार उपकरण में अवरोधक और सुरक्षा के स्विच होने चाहिए।

171) हल्के व भारी वाहनों और उपकरणों को, चाहे कार्यालय हो या निर्माण स्थल, रिवर्स (उलटे) में पार्क करना अनिवार्य है।

172) सभी जनरेटर व ट्रांसफॉर्मर को अच्छी स्थिति में रखना चाहिए।

173) जनरेटर व ट्रांसफॉर्मर के आस-पास की जगह को ईंधन और तेल के बिखराव से मुक्त रखा जाएगा।

174) सभी जनरेटर की अर्थिंग की जाएगी

175) जनरेटर से निकलने वाले तार अच्छी स्थिति में होंगे, जनरेटर के स्थान पर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

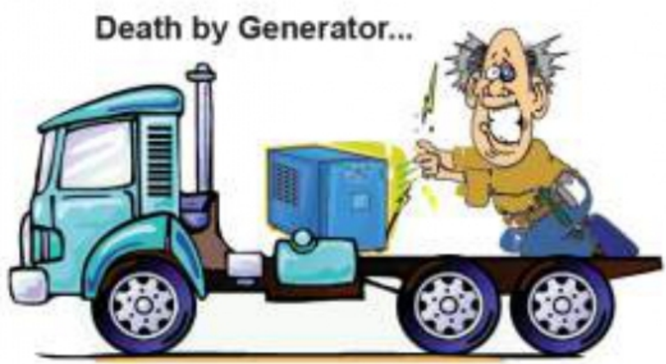
Death by Generator...

सफाई व्यवस्था

176) कार्यालय, कल्याण क्षेत्र, वर्कशॉप और अस्थायी भंडारण क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जाएगा, मलबा, कचरा और अन्य बेकार सामान नियमित रूप से हटाया जाएगा।

177) कामकाजी क्षेत्र और पहुंच के माध्यमों को सुरक्षित व व्यवस्थित रखा जाना चाहिए।

178) गिरती हुई वस्तुओं, कीलों, टूट कर बिखरने वाली चीज़ों आदि से होने वाली चोट से बचने के लिए अच्छी सफाई व्यवस्था महत्वपूर्ण है।

179) सफाई व्यवस्था सुरक्षा की एक शीर्ष प्राथमिकता है और कर्मचारियों को खास तौर पर काम से पहले और काम के दौरान नियमित रूप से स्थल की सफाई करनी चाहिए।

180) सभी दहन योग्य व ज्वलनशील कचरे को प्रत्येक बारी खत्म होने पर निर्माण स्थल से हटाना चाहिए।

181) सभी ''आपातकालीन निकास'' और गलियारों, अग्नि सुरक्षा निकास, अग्नि सुरक्षा द्वार, अग्निशामक यंत्र और अन्य निर्धारित आपात स्टेशनों को साफ रखा जाएगा।

182) युक्सेल (YÜKSEL) निर्माण स्थल पर कचरे को जलाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

गलत

सही

इस्पात निर्माण का काम

183) स्टील स्थापित करने का काम करते समय सभी कर्मचारियों द्वारा पीपीई पहना जाएगा।

184) स्टील स्थापित करते हुए सहारा देने वाली रस्सी हटाने से पहले प्रत्येक हिस्से को सही जगह पर बांधा जाएगा।

185) स्टील गट्ठा स्थापित करते हुए उस समय तक उसे लपेटने वाले ब्रेसेज (धातु के टुकड़े) को एक ओर से या आड़ा तिरछा करते हुए बांधे जब तक कि ब्रेसेज (धातु के स्थायी टुकड़े) नहीं लग जाते हैं।

186) क्रेन, डेरिक्क या अन्य उपकरण का उपयोग सिर से गुजरती सक्रिय विद्युत लाइन के तीन मीटर के भीतर न करें।

187) तेज हवा चलने, बारिश या बर्फ पड़ने पर (प्रतिकूल मौसम) स्टील स्थापित करने / जोड़ने का काम जारी न रखें।

188) सभी क्रेन व उपकरण को जोड़ने से पहले पीपीई और गिरने से बचाने वाले उपकरण का निरीक्षण किया जाएगा। कामकाजी क्षेत्र को पर्याप्त रूप से अलग व सुरक्षित किया जाना चाहिए।

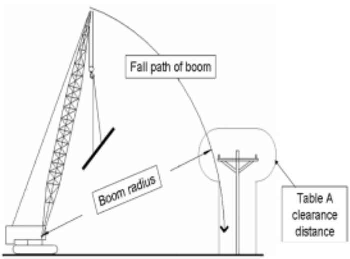

Illustration A

गलत

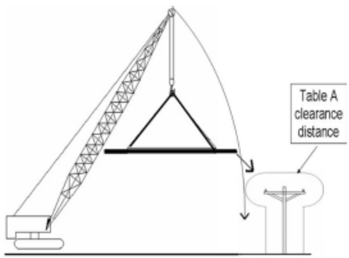

Illustration B

सही

सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग

189) प्रत्येक ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा।

190) शराब का उपयोग, दवाई, औषधि या कोई ऐसी अन्य चीज़ लेना जिससे ड्राइवर की क्षमता कमजोर होती है सख्त रूप से प्रतिबंधित है और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले केवल अधिकृत ड्राइवर ही कंपनी के परिवहन का उपयोग कर सकते हैं।

191) कर्मचारियों को फॉर्कलिफ्ट ट्रक, क्रेन, ट्रेक्टर और साइडबूम पर सवारी कराने की अनुमति नहीं है। वाहनों में अधिक भार नहीं डाला जाएगा॥

192) ड्राइवर को प्रत्येक यात्रा से पहले और बाद में तेल, लाइट, टायर प्रेशर, बैट्री लेवल, ईंधन और पानी की जांच करनी होती है।

193) वाहनों को हमेशा निर्माता के अनुसार और उसकी सीमा के भीतर चलाया जाएगा और गतिसीमा स्थानीय ट्रैफिक नियमों से निर्धारित की जाती है।

194) अंधेरे में या प्रतिकूल स्थिति में निर्माण स्थल पर गाड़ी चलाते समय हैडलाइट और टेल लाइट का हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए।

195) काम पर या काम के बाद गाड़ी चलाने के असुरक्षित तरीकों की अनुमति नहीं है। निर्माण स्थल के भीतर गति सीमा 20 किमी/घंटा है और धूल वाली जगह पर 8 किमी/घंटा है।

196) दूसरे वाहन से आगे निकलने से पहले ड्राइवर को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसा सुरक्षित ढंग से कर सकता है,इस तरह गुजरने के लिए दूसरी गाड़ी से उसकी गाड़ी की दूरी पर्याप्त है, उसके आगे की सड़क साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अन्य गाड़ी मौजूद नहीं है।

197) कभी भी धूल के बीच से गाड़ी को अन्य वाहनों से आगे न ले जाएं; ड्राइवर आगे निकलने के लिए तब तक प्रतीक्षा करेगा, जब तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगता है।

198) गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन और धूम्रपान की अनुमति नहीं है।

एनडीटी वर्क

199) पाइपलाइन पर रेडियोग्राफी गतिविधि करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है:

- साइट पर समस्त रेडियोग्राफी काम होते समय कम से कम दो प्रमाणित व प्रशिक्षित टेक्नीशियन मौजूद होने चाहिए।
- रेडियोग्राफी के सभी काम एक नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किए जाएंगे। इस नियंत्रित क्षेत्र की सीमा धारीदार टेप या रस्सी के अवरोध के साथ रेडिएशन के उपयुक्त चेतावनी चिन्ह द्वारा स्पष्ट तौर पर निर्धारित की जाएगी।
- पाइपलाइन पर एनडीटी संचालन के दौरान इन अवरोधकों को एनडीटी वाहनों पर पर्याप्त फ्लैश चमकाकर रेखांकित किया जाएगा।
- मीटर से नियंत्रित की जा सकने वाली रेडिएशन की अधिकतम मात्रा 2.0 μ/sv प्रति घंटा है और यह मात्रा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। (संदर्भ एएसएमई धारा - V, गैर विनाशकारी परीक्षण, रेडियोग्राफिक जांच)

रेडियोग्राफी को तत्काल बंद किया जाएगा; यदि:

- नियंत्रित क्षेत्र में अप्रमाणित / अनधिकृत कर्मचारी प्रवेश करता है,
- किसी गड़बड़ी वाले उपकरण का संदेह होता है,
- स्थितियों में परिवर्तन होता है जबकि टेक्निशियन को लगता है कि सुरक्षा प्रभावित हुई है,

200) सभी एनडीटी कर्मचारियों द्वारा पहले जाने वाले व्यक्तिगत डोजी मीटर और फिल्म बेजिज को रेडिएशन के प्रकार के आधार पर पहना जाता है।

सामग्री का साधारण तरीके से उपयोग

201) सामग्री के सुरक्षित साधारण तरीके से उपयोग (उदाहरण के लिए कार्गो) में योगदान देने वाला सिद्धांत नीचे दिया गया है और इनका पालन सामान्य रूप से सामग्री को संभालते समय सख्ती से किया जाएगा:

- पैर को सही जगह पर रखना
- घुटने मोड़ना
- पीठ सीधी रखना।
- बांह शरीर के करीब रखना।
- सही पकड़ रखना
- सिर सही स्थिति में रखना

गलत तरीका सही तरीका

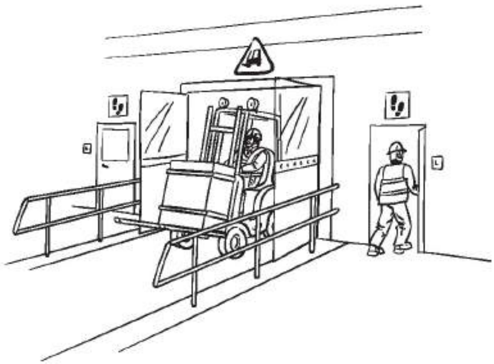

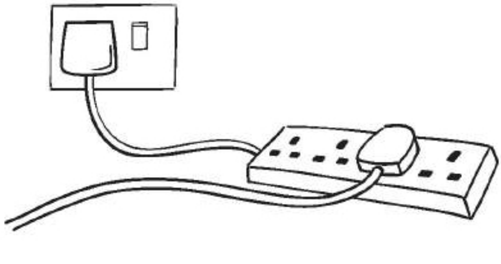

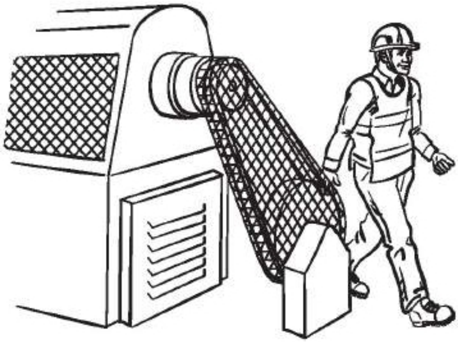

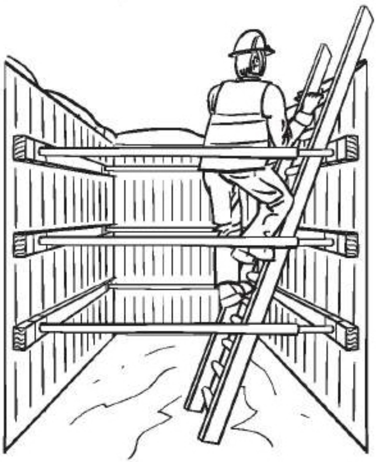

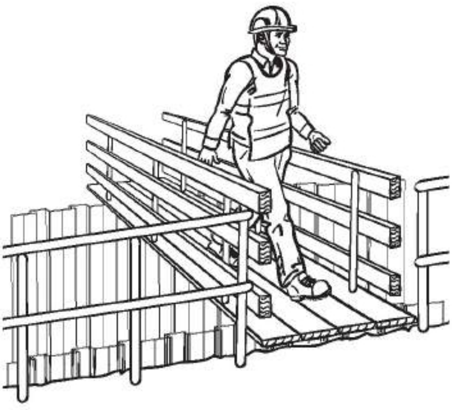

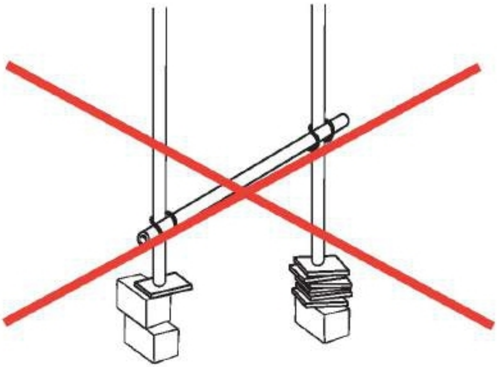

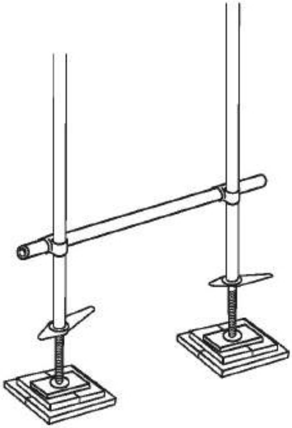

Prepared By :

1) Fırat ÇALIŞKAN
2) Wasef AHMED
3) Mohammed Abdul MAJID

Translated By : Crystal Hues Limited

IMAGES SOURCE: Google Images

Exit 8, After Khalid Ibn Al-Walid St. Building No. 2969
Dammam Service Road Ghirnatah,
Beside Petromin Gas Station
13242 Riyadh Saudi Arabia
Tel No: +966 11 293 1000 Fax No:+966 11 293 5148
www.yukselsaudia.com.sa
saudia@yuksel.net

All Rights Reserved
This handbook is intended for the use on the projects of YUKSEL SAUDIA

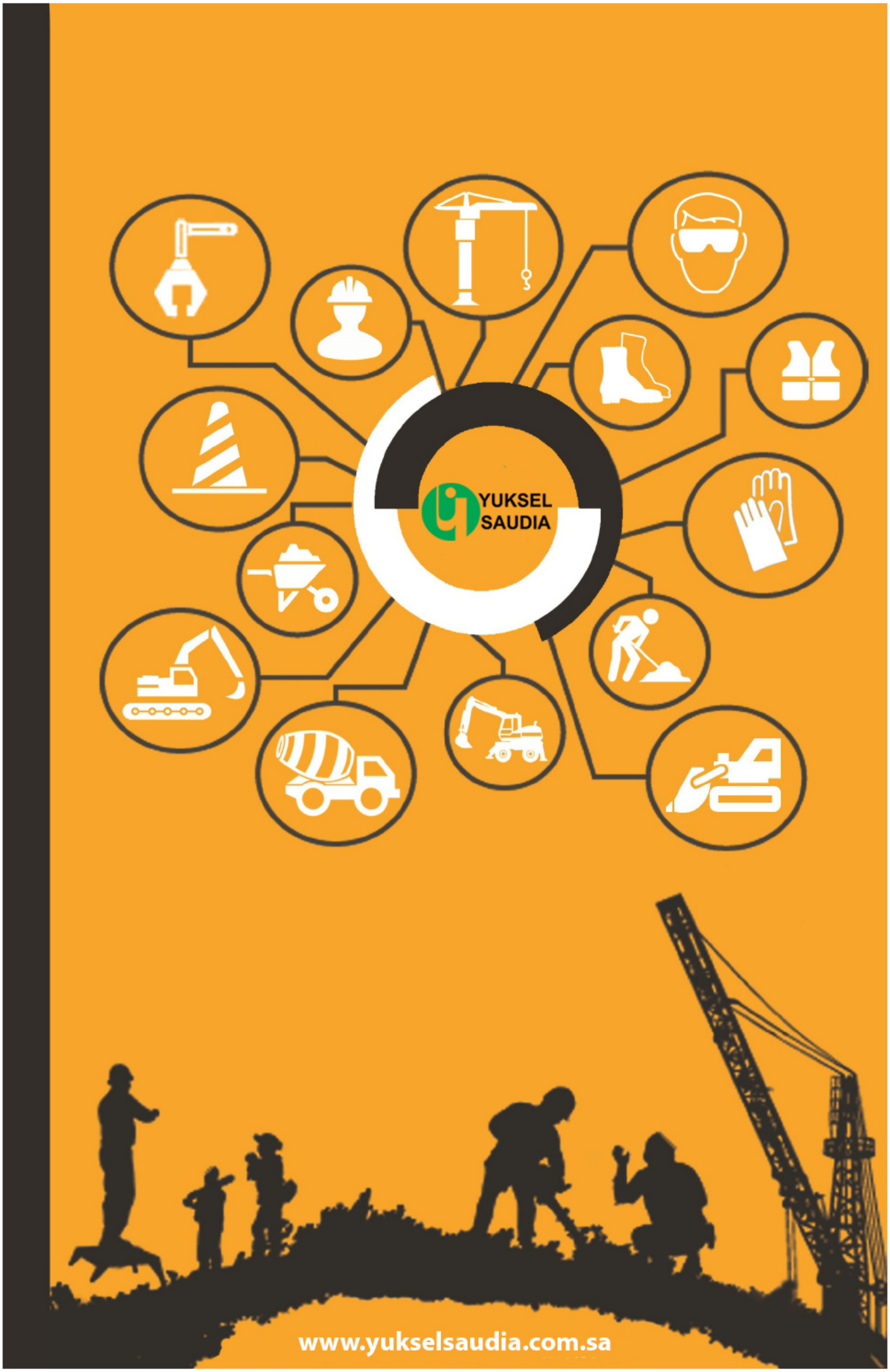
YUKSEL
SAUDIA
www.yukselsaudia.com.sa